रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 1996/भाद्रपद 1, 1918
No. 151] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 1996/BHADRA 1, 1918

उद्योग मन्त्रालय

(सरकारी उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1996

संख्या 11013/3/96-प्रशासन.—संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसरण में सरकार ने एतद्द्वारा प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए सरकारी क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया है।

2. आयोग की संरचना इस प्रकार होगी :—

1. श्री जी. वी. रामाकृष्ण, पूर्णकालिक अध्यक्ष
2. श्री दीपांकर बासु, अंशकालिक सदस्य
3. श्री एम. आर. आर. नायर, अंशकालिक सदस्य
4. डा. सुरेश तेंदुलकर, अंशकालिक सदस्य
5. डा. डी. एम. ननजुनदप्पा, अंशकालिक सदस्य

आयोग में एक पूर्णकालिक सचिव होंगे, जिनकी नियुक्ति अलग से की जाएगी।

3. आयोग के विचारार्थ विषय स्थूल रूप से इस प्रकार हैं :—

(i) कोर समूह द्वारा सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 5 से 10 वर्ष की अवधि के भीतर एक विस्तृत समग्र दीर्घावधिक विनिवेश कार्यक्रम तैयार करना।

(ii) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में विनिवेश की सीमा (कुल/आंशिक प्रतिशतता दर्शाते हुए) निर्धारित करना।

(iii) कोर समूह द्वारा सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समग्र विनिवेश कार्यक्रम के संदर्भ में प्राथमिकता निर्धारित करना।

(iv) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक अभिज्ञात उपक्रम के लिए विनिवेश के तरीकों (घरेलू पूंजी बाजार/अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार/नीलामी/अभिज्ञात निवेशकों को निजी बिक्री/कोई अन्य) की प्राथमिकता के बारे में अनुशंसा करना । बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों के उचित मिश्र के बारे में भी सुझाव देना।

(v) सरकार के उद्देश्यों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उचित वित्तीय आवश्यकताओं तथा बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक व द्वितीय विनिवेश मिश्र के बारे में अनुशंसा करना।

(vi) बिक्री की पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना तथा उचित साधनों, मूल्यनिर्धारण और समय के बारे में निर्णय करना।

(vii) विनिवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के विशिष्ट उपक्रमों के लिए वित्तीय सलाहकारों का चयन करना।

(viii) विनिवेश प्रक्रिया के दौरान प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित उपाय सुनिश्चित करना, जिसमें बिक्री संबंधी प्रक्रिया में कर्मचारियों की सहभागिता प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

(ix) विनिवेश प्रक्रिया की प्रगति की जांच करना तथा आवश्यक उपाय करना और ऐसी प्रगति के बारे में समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट देना।

(x) लोगों में वचनबद्धता का विकास करने के लिए सरकार की विनिवेश नीति तथा कार्यक्रम के बारे में जन आगरूकता कायम करने में सरकार की सहायता करना।

(xi) विनिवेश प्रस्तावों को व्यापक प्रचार देना ताकि उद्यमों की शेयरधारिता में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

(xii) यदि आवश्यक हो, न्यूनतम विनिवेश द्वारा उद्यमों के संभावित पूंजी पुनर्निर्माण पर सरकार को परामर्श देना ताकि विनिवेश द्वारा अधिक आय सुनिश्चित हो सके।

4. विनिवेश आयोग एक परामर्शी निकाय होगा तथा विनिवेश आयोग की सलाह के आधार पर सरकार विनिवेशित की जाने वाली कम्पनियों तथा विनिवेश की प्रणाली के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। सरकारी उपक्रम विनिवेश आयोग के समग्र पर्यवेक्षण में सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करेंगे।

5. उपर्युक्त विषय पर सरकार को सलाह देते समय आयोग साझेदारों, कामगारों, उपभोक्ताओं तथा सम्बन्धित उपक्रम के अन्य साझेदारों के हितों को ध्यान में रखेगा।

एस. तलवार, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को भेजी जाए।

नई दिल्ली,
दिनांक : 23-8-1996

एस. तलवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd August, 1996

No. 11013/3/96-Admn.—In pursuance of the Common Minimum Programme of the United Front, Government hereby constitutes a Public Sector Disinvestment Commission, initially for a period of three years.

2. The composition of the Commission will be as follows:—

1. Shri G.V. Ramakrishna, Full-time Chairman
2. Shri Dipankar Basu, Part-time Member
3. Shri M.R.R. Nair, Part-time Member
4. Dr. Suresh Tendulkar, Part-time Member
5. Dr. D.M. Nanjundappa, Part-time Member

The Commission will have a full-time Secretary who will be appointed separately.

3. The broad terms of reference of the Commission are as follows:—

(i) To draw a comprehensive overall long term disinvestment programme within 5 to 10 years for the PSUs referred to it by the Core Group.

(ii) To determine the extent of disinvestment (total/partial indicating percentage) in each of the PSU.

(iii) To prioritise the PSUs referred to it by the Core Group in terms of the overall disinvestment programme.

(iv) To recommend the preferred mode(s) of disinvestment (domestic capital markets/international capital markets/ auction/private sale to identified investors/any other) for each of the identified PSUs. Also to suggest an appropriate mix of the various alternatives taking into account the market conditions.

(v) To recommend a mix between primary and secondary disinvestments taking into account the Government's objective, the relevant PSU's funding requirement and the market conditions.

(vi) To supervise the overall sale process and take decisions on instrument, pricing, timing, etc. as appropriate.

(vii) To select the financial advisers for the specified PSUs to facilitate the disinvestment process.

(viii) To ensure that appropriate measures are taken during the disinvestment process to protect the interests of the affected employees including encouraging employees' participation in the sale process.

(ix) To monitor the progress of disinvestment process and take necessary measures and report periodically to the Government on such progress.

(x) To assist the government to create public awareness of the Government's disinvestment policies and programmes with a view to developing a commitment by the people.

(xi) To give wide publicity to the disinvestment proposals so as to ensure larger public participation in the shareholding of the enterprises; and

(xii) To advise the Government on possible capital restructuring of the enterprises by marginal investments, if required, so as to ensure enhanced realisation through disinvestment.

4. The Disinvestment Commission will be an advisory body and the Government will take a final decision on the companies to be disinvested and mode of disinvestment on the basis of advice given by the Disinvestment Commission. The PSUs would implement the decision of the Government under the overall supervision of the Disinvestment Commission.

5. The Commission while advising the Government on the above matters will also take into consideration the interests of stakeholders, workers, consumers and others having a stake in the relevant public sector undertakings.

S. TALWAR, Jt. Secy.

ORDER

Ordered that the resolution be published in the Gazette of India. Ordered also that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all central public sector undertakings.

S. TALWAR, Jt. Secy.

New Delhi,

Dated : 23-8-1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996